न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गजेन्द्र सिंह (आर.टी.एस)

मुकदमा नम्बरः– 93 / 2022

निर्णय दिनांक :–24.02.2023

सरकार बनाम श्री सीताराम पुत्र सागर मल जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :–24.02.2023

निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का मणकसास तथा भू.अ. निरीक्षक गुढ़ा द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि पटवार हल्का मणकसास के ग्राम मणकसास में स्थित भूमि ख. न. 1934 / 31 कुल रकबा 0.12 है0 किस्म बंजड़ 2 में से 63 वर्ग मीटर राजकीय भूमि पर अप्रार्थी / अतिक्रमी श्री सीताराम पुत्र सागर मल जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी ने अनाधिकृत रूप से पुख्ता दुकान व खाई खोदकर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी / अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी / अतिक्रमी द्वारा दिनांक 24.02.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । जवाब नोटिस निम्न प्रकार से है:– यह प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी के पूर्वजो के समय से ही कब्जा है तथा उक्त भूमि का अप्राथी को संरपच ग्राम पंचायत मणकसास द्वारा पट्टा जारी किया गया है ।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य संबुत पैश नही किया गया । अतः अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के

फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

<u>आदेश</u>

पटवार हल्का मणकसास को ग्राम मणकसास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1934/31 कुल रकबा 0.12 है0 किस्म बंजड़ 2 में से 63 वर्ग मीटर भूमि. पर अप्रार्थी/अतिक्रमी श्री सीताराम पुत्र सागरमल जाति मीणा निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते है, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक शहर लगान 0.22/– रूपये का 50 गुणा यानि कुल 11/– रूपये (अक्षरे ग्यारह रूपये) बतौर जुर्माना अप्रार्थी/अतिक्रमी पर आरोपित किया जाता है। निर्णयानुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एंव भू0अ0 निरीक्षक को लिखा जावें। भू0अ0 निरीक्षक रघुनाथपुरा को आदेशित किया जाता है अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली इस न्यायालय में पेश करें।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

रजिस्टर व वर्ष 2022-23 व पृष्ठ 45
रुपये 11/– कायमी की गई
राजस्व लेखाकार